□□□□ □□□□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्र□□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ वि□□□

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न □ख□□: 5598

26 □□□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न □□ □त□□**

निजी अस्पतालों द्वारा डिस्पोजेबल वस्तुओं का पुनः प्रयोग करना

5598. **श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

क□□ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि सी.जी.एच.एस. पैनल वाले सहित निजी अस्पताल आम □□□□ □□स्वास्थ्य की कीमत पर लाभ कमाने के लिए डिस्पोजेबल वस्तुओं का पुनः उपयोग कर रहे हैं और यदि □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □;

(ख) क्या इस प्रकार की वस्तुएं एक प्रक्रिया के बाद स्टेरेलाइज की जाती हैं और पुनः उपयोग की जाती हैं और रोगियों से इनकी पूरी कीमत वसूली □□□□ □;

(□) □दि □□,तो क्या सरकार ने डिस्पोजेबल वस्तुओं को, वि□□□□□ हृ□□-□□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□ □स□□ □□□ □□□ □□□□□, जिन्हें एक बार के उपयोग के लिए बनाया गया है, के विरुद्ध चेतावनी जारी की है, □दि □□,□□ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(□) क□□ □□□ डि□स□□जेबल मदों के पैकेजिंग पर यह निदेश लिखा होता है उनका उपयोग सिर्फ एक बार के लिए किया जाए और स्टेरेलाइजेशन के बाद इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, □दि □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □;

(ङ) क्या कैथ लैब तकनीशियन और विक्रेताओं ने, जो अस्पतालों को डिस्पोजेबल्स और स्टंट बेचते हैं, □□□□ □□ बात की पुष्टि की है कि इस प्रकार का पुनः उपयोग आम बात है; □□

(□) □दि □□,तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है?

□त□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□ज□ □त्री (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)

(क) से (च): सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार 'स□□स्थ्य' □□ज□ □□ वि□□□ □□□□□ □□□□□□□ि□ □□ □□□ि□□ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र में लागू अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार समुचित कारवाई करने के लिए □□□□□ □□ □□□ि□□ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र □□ □ेजा जाएगा। राज्यों द्□□□□ प्रा□□ शिकायतों और राज्यों द्□□□□ □ी गई कारवाई से संबंधित आंकड़े केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता। ऐसी परिपाटियों □□ □□□□□□□□ □न□ नियंत्रित करने के लिए कारवाई करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

□□□ □□□र ने सुविधा केन्द्रों तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के न्यू□□□ □□□ ि□धारित करने की दृष्टि से नैदानिक स्था□□□ □ □□ □□□□□ □□ि□□ □□ि□□ स□□□□ (□□□□□ □□ विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है तथा □□ि□□ स□□पना (केन्द्री□ □□कार) नियमावली, 2012 □ी अधिसूचित किया है। □क□ अधिनियम के तहत राष्ट्री□ □□ि□□ स□□पना परिषद ने अस्पतालों के विभिन्न स□□ों □□ ि□□ न्□नतम मानक अनुमोदित किए ह। ये न्यूनतम मानक अन्यों □□ □□□-□□ □□ □□ □□□ब□ कराते ह कि □स□तालों म सेवाओं और बिस्तरों की संख्या □□ □□□□ □□□ष□ □□त्र □ □□ि□□□,ि□ि□त□ □□□□□ □□□ □□□ अनुपात म उपभोज्य □स□एं होनी चाहिएं। इन मामकों म आगे यह भी प्रावधान है कि औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और उपभोज्य □स□□ □□ी □□□त□ भी सुनिश्चित की जाएगी। अस्पतालों से यह अपेक्षा भी की जाती है ि□ □□□स□ स□□स्थ्य विज्ञान की आदत डालने व्यक्तिगत संक्रमण उपकरणों आदि के उपयोग और स्वास्थ्य परिचया से संबंधित संक्रमण की उच्च □ोखिम को कम करने के लिए जैव-ि□ि□त□ □□ि□ष□ प्रबंधन नियमों का अनुपालन सहित संक्रमण नियंत्रण परिपाटियों जैसी मानक सावधानियों का अनुपालन किया जाए। वतमानम, □□ □ि□ि□□□ □□ 11 □□ज□ों अथात् सिक्किम, ि□□□□, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, □त□□ प्र□□, ि□□□□, □□□□□, □□□स□□□, □त□□□□□, असम और हरियाणा तथा दिल्ली □□ □□□□□ □□□ □□ □□ज□ क्षेत्रों □□□□□□□□□□ □□ ि□□□ □□ □क□ □ि□ि□□□ □□ □□□न्□यन एवं प्रवतन राज्यों/□□ □□ज□ क्षेत्रों के काय क्षेत्र के भीतर आता है।

□□□□□□□□□, केन्द्री□ □□□□□ □ि□ि□त□ □□□□□ ि□□□□□□ी,2017 प्र□ि□□ □ी □□□□ 01.01.2018 □□ प्र□□□ □□□□ ि□□□□□□ी □□□□□□□, □□ □□□ □ी प्र□क□ होने वाले मेडिकल डिवाइस को □□ि□□ रू□ □□□□□ किया जाना चाहिए।